तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षगान उप०। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रार्थी वकील जवाब देना चाहता नहीं है वो सीधी बहस करना चाहते है। वकील उभयपक्षगान की बहस सुनी गई। वकील विप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि मौका फर्द अनुसार के दो घर व एक नेरा प्रार्थीगण के (दर्शित हिस्से) मे आ रहे है हमारे 30-35 वर्षों से कब्जे एवं काश्त से भिन्न मौका फर्द बनवायी गई है, प्रार्थीगण ने कब्जे काश्त अनुसार ~~[illegible]~~ तरमीम दुरस्ती का आवेदन किया है, नक्शा ट्रेस में तरमीम अनुसार ही है, उक्त भूमि की तरमीम अनुसार ही है, उक्त भूमि की तरमीम प्रार्थीगण की सहमति से की गई है तथा वर्तमान तरमीम के अनुसार ही हमारा कब्जा काश्त है जिससे यदि उक्त गलत व एक पक्षीय मौका फर्द के अनुसार तरमीम दुरस्ती की दी जाती है तो विप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिससे न्यायहित में श्रीमान स्वयं द्वारा या तहसीलदार खेरवाड़ा स्वयं द्वारा मौके पर जाकर दोनों पक्षों की मौजुदगी मे पुनः ~~[illegible]~~ मौका फर्द मंगवाया जाने का आदेश फरमाया जावें। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार ~~[illegible]~~ खेरवाड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सही है। क्योंकि प्रार्थीगण के ख.नं. 193/88 के खातेदार हबीब वगैरा तथा विप्रार्थीगण व लालाराम, मघाराम पि. रिडुराम जाति कुम्हार के खेत खसरा नं.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	154/88 की ट्रेस एवं ऑनलाइन नक्शा में तरमीम इनके कब्जा काश्त अनुसार नहीं है बेचान पंजीयन दस्तावेज में भी बेचान शुदा आराजी का स्पष्ट मेडा (सीमा) पड़ोसी का उल्लेख किया हुआ है जो संलग्न नक्शा में परिशिष्ट (ज) के रूप मे दर्शित किया है। अत: उक्त परिशिष्ट (ज) के द्वारा तरमीम दुरस्ती की कार्यवाही की जावें। विपक्षीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो आवेदन को लम्बा बढाने के उद्देश्य से किया है। उक्त प्रार्थना पत्र निराधार एव सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।	
	वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं विपक्षी वकील द्वारा बहस का मनन करने के उपरान्त प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपोषणीय एवं निराधार होने के कारण खारिज किया जाता है।	
	वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है अत: तरमीम दुरस्ती निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो	
	B[illegible] (initials)	

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2023 / 259 दिनांक 06/02/2023

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा / धनाऊ

विषय :– राजस्व आवेदन संख्या 52 / 2022 अनवान हवीब वगैरा बनाम वालाराम वगैरा वगैरा में निर्णय की पालना करने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त आवेदन में निर्णय दिनांक 06.02.2023 पारित किया गया। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी)

राजस्व आवेदन सं 52/2022

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हबीब पुत्र वली मोहम्मद 2. लाखा पुत्र वली मोहम्मद 3. आमद पुत्र मोमन जातियान मुसलमान निवासी पीरू का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. वालाराम पुत्र टीकुराम 2. रूपाराम पुत्र टीकुराम जाति प्रजापत निवासी पीरू का तला, तहसील सेड़वा। 3. खेताराम पुत्र छोगाराम 4. भागीरथ पुत्र छोगाराम 5. छेवाराम पुत्र छोगाराम 6. ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम जाति ब्राहमण निवासी कृष्ण का तला,तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 7. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री बाबुलाल विश्नोई

विप्रार्थी संख्या 1 के वकील – करनाराम कड़वासरा

दिनांक 06/02/2023

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण हबीब पुत्र वलीमोहम्मद वगैरा जातियान मुसलमान निवासी पीरू का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत मौजा पीरू का तला पटरवार क्षेत्र चिचड़ासर भू अभिलेख क्षेत्र सेड़वा के खेत मूल खसरा संख्या 88 वर्तमान खसरा सं. 193/88 रकबा 137.06 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि आयी हुई है। जिसमें विप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 सहखातेदार है। प्रार्थीगण ने मूल खसरा संख्या 88 मे से 20 बीघा भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान किया व मौके पर अलग से कब्जा करवा दिया उक्त बेचान के आधार पर उसमें नवीन खसरा संख्या 194/88 रकबा 20 बीघा का कायम किया गया लेकिन विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जहा बेचान किया था वह कब्जा करवाया था उस जगह से भिन्न जगह पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके नक्शे में तरमीम करवाली जबकि कब्जा अन्य जगह पर करवाया गया था उस कब्जे अनुसार विप्रार्थीगण मौके पर काबिज है लेकिन नक्शा तरमीम अलग पर कायम कि गई है। प्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम अकित होने से प्रार्थीगण को अपने खेत का विभाजन करवाने व खेत नेखमबंदी करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ा रहा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

है। इससे प्रार्थीगण को अपने खातेदारी हकूकों पर भी भारी कुठाराघात होने की संभावना है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत की तरमीम कब्जे के अनुसार दुरस्त करवाने का अधिकारी है इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 तक सह खातेदार होने से तथा विप्रार्थीगण संख्या 07 भूमि पति तहसीलदार होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया लेकिन उनके खिलाफ कोई सहायता नहीं चाही गई गई। प्रार्थीगण को मौजा पीरू का तला पटवार क्षेत्र चिचडासर भू अभिलेख सेडवा तहसील सेडवा में मूल खसरा संख्या 88 व वर्तमान खसरा संख्या 193/88 रकबा 137.06 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि व खसरा संख्या 194/88 रकबा 20.00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व रेकर्ड में कब्जे अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ईस्तदुआ चाही है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील करनाराम कड़वासरा ने वकालतनाम पेश किया तथा शेष के तामिल होने के बावजुद कोई उप. नहीं उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकर्ड में ग्राम पीरू का तला के खसरा संख्या 193/188, 194/88 का मौका देखा गया व ग्राम पीरू का तला के खसरा सख्या 194/88 रकबा 3.2375 हैक्टर भूमि विप्रार्थीगण वालाराम,रूपाराम पिता टिकूराम कौम कुम्हार (प्रजापति) के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जो कि उक्त भूमि प्रार्थीगण हबीब पुत्र वलीमोमद वगैरा से दिनांक 15.03.1992 को नामान्तरण संख्या 123 के जरिये खरीदा गया। ख.न. 193/88 रकबा 22.2253 हैक्टर (137.06 बीघा) भूमि ग्राम पीरू का तला में प्रार्थीगण हबीब वगैरा ने नाम खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ख.न. 194/88 में विप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी बनी हुई है। तथा ख.न. 193/88 व ख.न. 194/88 के मध्य तारबंदी की हुई है। प्रार्थीगण के ख.न. 193/88 के खातेदार हबीब वगैरा तथा विप्रार्थीगण वालाराम,रूपाराम पिता टिकूराम जाति कुम्हार के खेत खसरा नं. 194/88 की लट्ठा ट्रेस एवं ऑनलाईन नक्शा में तरमीम इनके कब्जा काश्त अनुसार नहीं है। बेचान पंजियन दस्तावेज में बेचानशुदा आराजी का स्पष्ट सेढ़ा (सीमा) पड़ोसी का उल्लेख किया हुआ है जो कि सलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'ब' के रूप में दर्शित किया है। प्रार्थीगण एव विप्रार्थीगण के वर्तमान लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम को संलग्न नक्शे परिशिष्ट 'अ' वर्तमान तरमीम दर्शित किया है तथा प्रार्थीगण के रहवासी व कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

काश्त को हरे रंग से एवं विप्रार्थी के कब्जा काश्त रहवासी ढाणी को बैगनी रंग से सलग्न नक्शे में दर्शित किया गया है। जिसे सलग्न नक्शे में 'परिशिष्ट ब' कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती का अंकन किया गया है।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार बहस सुनने का निवेदन किया। वकील विप्रार्थी ने उक्त मौका रिपोर्ट पर आपति जाहिर की तथा दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जो प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः **प्रार्थीगण हबीब पुत्र वलीमोहमद वगैरा जाति मुसलमान निवासी पीरू का तला तहसील सेड़वा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी मौजा पीरू का तला पटरवार क्षेत्र चिचड़ासर भू अभिलेख क्षेत्र सेड़वा के खेत खसरा संख्या 193/88 रकबा 22.2253 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 194/88 रकबा 3.2375 हैक्टर किस्म में राजस्व रिकार्ड में तरमीम दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तथा तहसीलदार सेड़वा को निर्देश दिये जाते है कि तरमीम दुरस्ती कार्यवाही हितबिद व्यक्तियों को सूचित करते हुए की जावें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता हैं कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 06/02/23 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा